

अल्पकालिन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि से वेतन वितरण के पचास प्रतिशत अथवा धनराशि से जनहित में पथप्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु रजिस्टर्ड फर्मों के अध्यावधि पंजीकृत फर्मों से दिनांक 27.8.2008 को पूर्वान्ह 11.00 बजे मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन उपस्थित फर्मों के स्वामी/निविदादाताओं के समक्ष समय 2.00 बजे अपरान्ह प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया के समक्ष कलेक्ट्रेट देवरिया में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित भुल्क जमा कर दिनांक 26.8.2008 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार पर व जिलाधिकारी महोदय कार्यालय देवरिया से पूर्व निर्धारित समय के अनुसार प्राप्त किये जा सकते हैं। उपरोक्त तिथि समय, स्थान के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा के साथ धरोहर/जमानत धनराशि के रूप में निविदाता को एन0एस0सी0/किसान विकास पत्र/बैंक एफ0डी0आर0 आदि जो अधिगणनी अधिकारी के पद नाम बन्धक हो एवं पी0डब्लू0डी0 के प्रपत्र सं0 टी0-6 पर 100=00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साइज का फोटो प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसकी भोश नियम एवं भातें निम्नवत हैं।

क्र0सं0	क्रय/लगाये जाने वाले विद्युत/पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु उपकरणों का विवरण	निविदा प्रपत्र का मूल्य	जमानत धनराशि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1-	नगर पंचायत के विभिन्न मुहल्लों में विद्युत विस्तार हेतु विद्युत पोल तार, इन्सूलेटर आदि लगवाई सहित	200.00	30000.00	कार्यादेि प्राप्त की तिथि से 1 माह के अन्दर
2-	हाई मास्क कम्पलीट सेट लगवाई मजदूरी सहित			
3-	सोडियम 250 वाट, सोडियम 150 वाट, सोडियम 70 वाट कम्पलीट सेट लगवाई मजदूरी सहित			
4-	सोडियम चोक, 250 वाट, सोडियम चोक, 150 वाट, सोडियम चोक, 70 वाट			
5-	सोडियम बल्ब 250 वाट, 70 वाट, कन्डेन्सर 33 एम0एफ0डी0, कन्डेन्सर 10 एम0एफ0डी0, इगनाटर पी0वी0सी0 टेप 1 इंच, तार 40X76, तार 3X22, पेन्डेन्ट होल्डर, बेड स्वीच (एन्कर), पावर स्विच 16 एम्पीयर, 250 वाट सफेद बल्ब, पानी का फिल्टर, स्ट्रीट लाइट, एल्युमिनियम कार्स्टिक 36 वाट सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाइट, स्टील पोल, केबिल आदि			

नियम और भातें :-

- 1- निविदाता को जमानत धनराशि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2- निविदाता को अपनी निविदा की दरें स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र पर धनराशि भरना होगा।
- 3- एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
- 4- निविदा प्रपत्र पर निविदाता को अपना स्पष्ट हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- 5- निविदा प्रपत्र पर कटिंग अथवा ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
- 6- निविदा स्वीकृति के पचास आदेि प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित सामग्री की आपूर्ति/ कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा विलम्ब की दण्ड में जमानत जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 7- पंजीकृत फर्मों जो वर्ष 2008-2009 हेतु अपने फर्म के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराये हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- 8- किसी भी क्रय/कराये गये निर्माण कार्य की क्वालिटी निम्न स्तर से पाये जाने पर जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 9- अनुबन्ध/पथ पत्र आदि हेतु स्टाम्प पेपर कोशागार देवरिया अथवा उप कोशागार देवरिया से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।
- 10- निविदा प्राप्त करने अथवा खोलने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।
- 11- निविदा की वैधता एक माह होगी।
- 12- निविदा के समय विवाद की दण्ड में अध्यक्ष नगर पंचायत भटनी बाजार का ही निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 13- किसी भी फर्म/निविदाता द्वारा अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा कार्य में व्यवधान डालने जैसे अर्भदता, दुर्व्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना/स्थान पर अंकित करायी जायेगी।
- 14- इस विज्ञापन को इण्टरनेट द्वारा www.deoria.nic.in पर देखा जा सकता है।

(राधे याम सोनकर)
अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया

(रमे चन्द्र वर्मा)
अध्यक्ष
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया